45

270

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवाम0प्र0

[redacted]

R5389-II/16

गीता देवी पत्नी कृष्णपाल राम ब्रा0 निवासी ग्राम मोहरिया तह0 मझौली उपतहसील मड़वास जिला सीधी म0प्र0----- आवेदिका

बनाम

रमेश प्रसाद तनय अनुसुइयाराम ब्रा0 निवासी ग्राम मोहरिया तह0 मझौली उपतहसील मड़वास जिला सीधी {म0प्र0} ----- उत्तरवादी/अना0

अधिवक्ता श्री अभिताभ चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत
06.9.16

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री राजस्व निरीक्षक वृत्त मड़वास तहसील मझौली उपतहसील मड़वास जिला सीधी म0प्र0 बाबत प्रकरण क्रमांक 36/अ/12/95-96 आदेश दिनांक 12/4/2016

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है:-

{1} यहकि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक का सीमांकन कार्यवाही व आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

{2} यहकि आवेदिका भूमि 28 व 29 की सरहद्दी कास्तकार है जिससे हितबद्ध पक्षकार है जिसे धारा 129 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत पक्षकार एवं चतुर्दिश सीमा के व्यक्तियों का विवरण नियमतः दिया जाना आवश्यक था व है, जिससे बिना सूचना के पीठपीछे सीमांकन की कार्यवाही व पुष्टि का आदेश अविधिक है, जो निरस्त योग्य है।

निरन्तर 2पर

45

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R5389-II/16 जिला–सीधी

गीता देवी/ रमेश प्रसाद

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमिताभ चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मड़वास, तहसील मझौली उप तह0 मड़वास के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	